"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 309] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 30 नवम्बर 2010—अग्रहायण 9, शक 1932

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
महानदी खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 नवम्बर 2010

आदेश

क्रमांक एफ 173 तीन/नगरीय निकाय/रानिआ./2010/3136.—संविधान के अनुच्छेद 243 य क एवं छत्तीसगढ़ निर्वाचन नियम 1994 के नियम 11-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आगामी नगरपालिका आम निर्वाचन/उप निर्वाचन 2010 एवं 2011 में मतदान के समय निर्वाचकों के प्रतिरूपण को रोकने और उनकी पहचान सुगम बनाने के लिये छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा निर्देश देता है कि नगरीय निकाय के सभी निर्वाचकों को आम निर्वाचन तथा उप निर्वाचन में मतदान केन्द्र पर मत डालने हेतु अपनी पहचान स्थापित करने के लिये निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा :—

(1) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदाय किया गया मतदाता पहचान-पत्र,

(2) बैंक/डाकघर फोटोयुक्त पासबुक,

(3) शस्त्र लायसेंस,

(4) फोटोयुक्त संपत्ति दस्तावेज यथा पट्टा, रजिस्ट्रीकृत विलेख आदि,

(5) फोटोयुक्त विकलांगता प्रमाण-पत्र,

(6) पासपोर्ट,

(7) ड्रायविंग लायसेंस,

(8) आयकर पहचान-पत्र (पी.ए.एन.कार्ड)

(9) राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्योगिक संस्थानों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र.

(10) नगरीय निकाय द्वारा नगरीय रिक्शा चालकों के लिए जारी फोटोयुक्त पहचान-पत्र.

(11) छात्र फोटोयुक्त पहचान-पत्र,

(12) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/फोटोयुक्त प्रमाण-पत्र,

(13) पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन अदायगी आदेश/भूतपूर्व सैनिक विधवा/आश्रित आदि फोटोयुक्त प्रमाण-पत्र,

(14) स्वतंत्रता सेनानी फोटोयुक्त पहचान-पत्र,

(15) फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना (स्मार्ट कार्ड),

(16) फोटोयुक्त राशन कार्ड,

(17) बार कौंशिल द्वारा अधिवक्ताओं को जारी फोटोयुक्त परिचय पत्र,

(18) माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा जारी दसवीं एवं बारहवीं की फोटोयुक्त अंकसूची.

यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर दर्शाए गए किसी दस्तावेज जो परिवार के मुखिया के पास ही उपलब्ध होता है, जो परिवार के दूसरे सदस्यों की पहचान के लिये उपयोग हेतु अनुमति दी जाएगी. इसी प्रकार से परिवार के किसी दूसरे सदस्य के नाम से कोई दस्तावेज अन्य सदस्यों की पहचान के लिये भी प्रयोग किया जा सकता है बशर्ते ऐसे दस्तावेजों के आधार पर दूसरे सदस्यों की पहचान की जा सकती है.

हस्ता./-
(आई. आर. देहारी)
सचिव,
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.